P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-IV, ISSUE-IV, May-2016
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

डॉ. अम्बेडकर के समाजवादी विचार

नलिनी खे. टेंभेकर
सहयोगी प्राध्यापक,
इतिहास विभाग,
शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था,
अमरावती

सारांश

स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवाद' शब्द का समावेश किया गया है। इस हेतू समाजवाद की स्थापना करना यह राष्ट्र का कर्तव्य है। अज्ञान, दरिद्रता आदि नष्ट कर समानता पर आधारित नवसमाज का निर्माण करना आज के समय की जरूरत है। धर्म और वंशविभेद (Racialism) से निर्माण हुई अस्पृश्यता, औद्योगिकरण के परिणामस्वरूप निर्माण हुआ मजदूर वर्ग और उनका शोषण, अज्ञानता, दरिद्रता आदि समस्याएँ आज भी विद्यमान है। उस धरातल पर डॉ. अम्बेडकर के विचारों को समझना जरूरी है। संविधान समिति को प्रस्तुत किए अपने निवेदन के दूसरे अनुच्छेद के चौथे खंड में उनके द्वारा 'राज्य समाजवाद' की संकल्पना स्पष्ट की गयी है। इसमें उनके द्वारा आर्थिक समानता प्रस्थापित करने हेतु कृषियोग्य जमीन और मूलभूत उद्योंगों के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया है। मूलभूत उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, सामूहिक खेती के प्रयोग, बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण आदि से आर्थिक समानता स्थापित होकर सही अर्थो में समाजवाद कार्यान्वित होगा ऐसा उनका विचार था।

मुख्य शब्दः समाजवाद, राज्यसमाजवाद, आर्थिक समानता, सामूहिक खेती, मजदूर पक्ष, लोकतांत्रिक समाजवाद, मार्क्सवाद

प्रस्तावना

डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्तर के नेता और तत्वचिंतक रहे है। भारत की आर्थिक–सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु उन्होंने विशेष भूमिका निभाई है। उन्होने संसदीय लोकतंत्र, गांधीवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद इन अलग–अलग विचारधाराओं का परामर्श लेकर राज्य समाजवाद संबंधी अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त किए है। जो भारत के मजदूरों, किसानों और दलितों की आर्थिक स्थिती में सुधार लाने हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

साहित्य का पुनर्विलोकन

डॉ. अम्बेडकर के तत्वज्ञान के मुख्य रूप से राजनितिक, सामाजिक और आर्थिक ऐसे तीन पहलू है। उनके राजनितिक विचारों का प्रतिक भारतीय संविधान है। उनके सामाजिक विचारों का प्रतिक 'बुद्ध और उनका धम्म' है। परंतु उनका आर्थिक विचार 'राज्य समाजवाद' के माध्यम से सशक्त रूप से सामने नहीं आया है।

डॉ. अम्बेडकर द्वारा स्थापित (1) स्वतंत्र मजदूर पक्ष' (2) शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इन राजनितिक पक्षों के घोषणापत्र उनके द्वारा लिखित 'स्टेट्स एन्ड मायनॉरिटिज' यह ग्रंथ, अलग अलग समय पर दिये गये उनके भाषण, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया बुद्ध धर्म, भारतीय संविधान सभा में दिया गया उनका भाषण आदि का अध्ययन करने से उनके राज्य समाजवाद संबंधी विचार स्पष्ट होते है।

प्रस्तुत शोध प्रपत्र के लिए महाराष्ट्र शासन द्वारा प्रकाशित Dr. Ambedkar Writing & Speeches 1987, Prof. M.K. Dongre द्वारा लिखित Economics thoughts of Dr. B.R. Ambedkar, चा.भ.खैरमोडे लिखित और महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल, मुंबई 1989 द्वारा प्रकाशित डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर (चरित्र) खंड–10 और अन्य मराठी भाषा में प्रकाशित ग्रंथों का आधार लिया गया है।

उद्देश्य

1. डॉ. अम्बेडकर के भारत के संदर्भ में समाजवादी विचारों को समझना।
2. डॉ. अम्बेडकर के मार्क्सवाद संबधी विचारों को जानना।
3. अन्य भारतीय समाजवादियों के 'लोकशाही समाजवाद' के संदर्भ में विचार जानना।

4. डॉ. अम्बेडकर के राज्य समाजवाद संबधी विचारों की उपयुक्तता को समझना।

समाजवाद की व्याख्या

सर्वप्रथम वर्ष 1825 के करीब समाजवाद की कल्पना का उदय फ्रान्स में हुआ, सेंट सायमन इस फ्रेंच विद्वान ने सर्वप्रथम यह विचार रखा ऐसा माना जाता है।[1] इस संदर्भ में 'एन्सायक्लोपिडिया ब्रिटनिका' में स्पष्ट उल्लेख है की,"The words Socialist and Socialism came into use in great Britain and France soon after 1825 and were first applied to the doctrines of certain writers who were seeking a complete transformation of the economic and moral basis of Society by the substitution of social for individual control and of social for individualistic forces in the organization of life and work", आज दुनिया के अधिकतर देशों को स्वतंत्रता प्राप्त है। परंतु समता, बंधुभाव एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता से आज भी दुनिया के अनेक समाज वंचित है, उन्हें प्राप्त करने हेतु दिखाया गया मार्ग और तत्वज्ञान समाजवाद है। 'Oxford Encyclopedic Dictionary' मे समाजवाद का निम्नलिखित अर्थ दिया गया हS]"Political and economic principle that community as a whole should have ownership and control of all means of production and distribuition (Opp. Capitalism and Individualism); Policy aiming at this state of society in which this principle is accepted.[2] समाजवाद से संबंधित अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भिन्न–भिन्न परिभाषाएँ दी है। उन सब में 'बहुजन हिताय–बहुजन सुखाय' इस कल्याणकारी अवस्था को प्राप्त करने हेतु व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। समाजवाद में उत्पादन के महत्वपूर्ण साधनों पर राज्य का अधिकार, जमीन, कारखाने आदि मूल साधनों पर सार्वजनिक अधिकार हो ऐसा विचार रखा गया है। संक्षेप मे समाजवाद यह समताधिष्ठित समाजनिर्माण हेतु न्याय, स्वतंत्रता, समता इन तीन तत्वों पर आधारित वर्गविहीन समाज का नाम है।

समाजवाद को कार्यान्वित करने के मार्ग और पध्दती के संदर्भ मे समाजवादियों मे मतभेद होने से समाजवाद के भिन्न प्रकार दिखाई देते है। वे निम्नलिखित है –

1. शास्त्रीय समाजवाद
2. फेबियन समाजवाद
3. गिल्ड समाजवाद
4. राज्यसमाजवाद
5. लोकतंत्री समाजवाद।

भारतीय समाजवाद

भारतीय समाजवादी तत्वचिंतको मे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरु,डॉ. राममनोहर लोहिया आदि अग्रणी रहे है। डॉ. अम्बेडकर भी समाजवादी तत्व चिंतक थे और भारत का बहुआयामी विकास समाजवादी मार्ग से हो ऐसा चाहते थे। इस संदर्भ में उन्होने अलग–अलग समय पर अपने विचार व्यक्त किये है और ''राज्य समाजवाद'' की संकल्पना रखी है। अपने विचारों को अधिक स्पष्ट करने हेतु उन्होने प्रसिध्द समाजवादी विचारकों के समाजवादी विचारों का भी परामर्श लिया है।

व्यापक रूप से साम्यवाद और समाजवाद यह दो विचार प्रवाह समाजवादी विचारधारा के मुख्य प्रवाह है। साम्यवाद का तानाशाही पर विश्वास है जबकि समाजवादियों का लोकतंत्र पर विश्वास है। तानाशाही के माध्यम से अंत मे लोकतंत्र तक पहुँचा जा सकता है इस समाजवादी विचारधारा को आज अधिक मान्यता नहीं है। लोकतंत्र के मार्ग से धीरे–धीरे परंतु निश्चित तौर पर इष्ट परिवर्तन किए जा सकते है ऐसा समाजवादियों का विश्वास है। इसलिए समाजवादी हिंसाचार को अनिष्ट मानते है जबकि साम्यवादियों को हिंसा से कोई परहेज नहीं है। भारत का विकास साम्यवादी या फिर लोकतांत्रिक समाजवाद की दिशा मे हो इस संदर्भ में स्वतंत्रतापूर्व काल मे मंथन किया गया। भारत के अनेक नेता जैसे पंडित नेहरु,सुभाषचंद्र बोस, लाला लाजपतराय, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, भगतसिंह आदि समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। 1942 के पश्चात कॉंग्रेस समाजवादी पक्ष का पुनर्गठन किया गया। 1947 में कानपुर में हुए अधिवेशन में पक्ष के उद्देश्य, नीति एवं तत्वज्ञान की घोषणा की गयी। समाजवाद केवल पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का अंत करना नहीं है अपितु, समानता और लोकतंत्र पर आधारित समाज का निर्माण करना है। नवसमाज का निर्माण करते समय

1. लोकतांत्रिक पद्धति से कार्य करनेवाले राजनीतिक पक्षों को संघटन और प्रचार स्वातंत्र्य
2. राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण
3. आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण
4. लोकतंत्र निष्ठ आर्थिक नियोजन
5. उद्योगों का सामाजीकरण
6. सहकारी खेती आदि मूलभूत सिद्धांत पक्ष द्वारा स्वीकृत किये गये।

भारत मे योजनाबद्ध आर्थिक विकास का कार्यक्रम 1950 के बाद शुरु हुआ। 1954 के बाद भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद और समाजवादी समाजरचना की संकल्पना लोकप्रिय हुई। समाजवाद का आर्थिक और राजनीतिक आशय ढूँढ़ने का प्रयास किया जाने लगा। संविधान के प्रस्तावना में और मार्गदर्शक तत्वों मे संविधान के निर्माताओं ने जिस अर्थव्यवस्था की कल्पना की वह समाजवादी है। समाजवाद अब भारत का उद्दीष्ट है यह बात 22 दिसंबर 1954 को एक प्रस्ताव पारित कर मान्य की गयी है। वैसा ही प्रस्ताव 1955 के मार्च महिने में आवडी के कॉंग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया।[3] लोकतंत्र की तरह समाजवाद का भी समावेश उद्देश्यों मे किया गया है, अर्थात लोकतंत्र के मार्ग से समाजवाद की स्थापना करना यह उद्देश्य है।

महात्मा गांधी, पंडित नेहरु, डॉ. लोहिया आदि समाजवादी विचारकों के समाजवाद के संदर्भ में विचार

महात्मा गांधी स्वयं को समाजवादी कहते थे। परंतु उनकी विचारधारा समाजावादियों जैसी नहीं थी। उनके मतानुसार, "भारत मे जिन लोगों ने समाजवाद को अपना सिद्धांत स्वीकार किया है। उनसे पहले से ही मै समाजवादी हूँ। परंतु मेरा समाजवाद मुझ में स्वाभाविक

रुप से पनपा है और यह अहिंसा मे मेरी अटूट आस्था से उत्पन्न हुआ है। कोई भी सक्रिय अहिंसक व्यक्ति किसी भी सामाजिक अन्याय को कभी बर्दास्त नहीं कर सकता । दुर्भाग्य से पाश्चात्य समाजवादियों ने समाजवाद सिद्धांतो की स्थापना के लिए हिंसा को आवश्यक माना है।"[4] और अगर वही वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिनिधित्व करता है तो मैं सोचता हूँ कि उस रुप में वह भारत के लिए उपयुक्त नहीं है।[5] वैज्ञानिक समाजवाद की जगह देश को व्यावहारिक समाजवाद की जरुरत है जो कि भारतीय परिस्थितियों के अनुरुप हो। बहुत सी चीजे छुट गयी है, जिनकी भारत को आवश्यकता है जैसे अस्पृश्यता निवारण, सांप्रदायिक एकता आदि।''[6] भारतीय समाजव्यवस्था मे समाजवादी कार्यक्रम की दिशा क्या हो इसका दिशानिर्देश उन्होने किया है साथ ही वितरण और विनिमय के सभी साधनों पर उत्तरोत्तर राष्ट्रीयकरण लादना अतिव्याप्तीकरण होगा। इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है ऐसा उन्होने स्पष्ट रुप से कहा और भारतीय समाजवादियों ने अस्पृश्यता निवारण के कार्यक्रम को अपने कार्यक्रम मे स्थान नहीं दिया इस बात पर उन्होने खेदसहित आश्चर्य व्यक्त किया था।

डॉ. राममनोहर लोहिया के समाजवादी विचारों पर कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों का संमिश्र रुप से प्रभाव पडा है।

भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरु समाजवाद के संदर्भ मे अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए 23 नवंबर 1951 को मुंबई की एक सभा मे कहते है कि, "मै समाजवादी ही हूँ परंतु समाजवादियों से मेरे वैचारिक मतभेद है। केवल सुंदर सपने देखने से या फिर नक्शे तयार करने से देश की प्रगति नहीं होती है, तुम्हारी योजनाएँ व्यावहारिक होनी चाहिए। धीरे–धीरे सावधानी से बदलाव लाने चाहिए, अन्यथा जल्दबाजी मे पूरा ढॉचा ही चरमराकर गिरने का डर रहता है। इसलिए हमने पंचवार्षिक योजना तैयार की है।[7]

भारत की समाजवादी विचार परंपरा मे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी थे, अशोक मेहता फेबियनवादी थे। डॉ. लोहिया गांधीजी के विचारों से प्रभावित थे। मसानी मार्क्सवादी थे परंतु बाद में ट्राटस्की से प्रभावित हुए। इन सबमे समाजवादी विचारधारा के संदर्भ में परस्पर तीव्र मतभेद थे। उनके विचारों मे एकवाक्यता नही थी।

कॉग्रेस द्वारा अपनायी गयी समाजवादी नीति डॉ. अम्बेडकर को मान्य नहीं थी। कॉग्रेस के आश्रय से पूँजीवाद को प्रोत्साहन मिल रहा है ऐसा आरोप उन्होने किया और इसके परिणामस्वरुप देश को गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है ऐसी संभावना उन्होने जताई। इस स्थिति को रोकने हेतु देश में एक प्रबल विरोधी राजनीतिक पक्ष हो ऐसा विचार उन्होने रखा और इसी धरातल पर उन्होने स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना की।

संपत्ति ही सत्ता हथियाने के पीछे की एकमेव शक्ति है। सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार केवल ढोंग है ऐसा समाजवादी मानते है।[8] डॉ. अम्बेडकर ने समाजवादियों के इस आर्थिक सिद्धांत पर जोरदार प्रहार किया। उनके मत से धर्म, संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा यह तीनो तत्व सत्ता हथियाने हेतु प्रेरित करते है। इन सभी तत्वों द्वारा दूसरों की स्वतंत्रता पर बंधन डाले जा सकते है। अंतर सिर्फ यह है कभी एक तत्व प्रभावशाली होता है तो कभी दूसरा।

डॉ. अम्बेडकर कहते है कि, ''स्वतंत्रता का अर्थ अगर एक व्यक्ति के प्रभाव से दूसरों को मुक्त करना है तो केवल आर्थिक सुधार का आग्रह नहीं किया जा सकता। सत्ता संपादन का मार्ग यदि सामाजिक और धार्मिक है तो सामाजिक और धार्मिक सुधारों को ही प्राथमिकता देनी होगी।[9]

डॉ. अम्बेडकर के समाजवादी विचार

डॉ. अम्बेडकर समाजवादियों को प्रश्न करते हुए कहते है कि, ''किसी भी देश में क्रांति कर मजदूरों द्वारा सत्ता प्राप्त किए बिना समाजवादियों द्वारा अभिप्रेत आर्थिक क्रांति सफल नहीं हो सकती। भारतीय मजदूर अलग–अलग जातियों में विभाजित होने के कारण उनमे समानता और एकात्मता की भावना का सर्वथा अभाव है। ऐसी स्थिति में क्या भारत का मजदूर वर्ग क्रांति करने हेतु एकत्र हो सकता है?[10] भारत में व्याप्त जातिव्यवस्था के कारण अगर मजदूर ही आपस में ऊँच–नीच का भेदभाव रखते हो तो वें अमीर वर्ग के विरूद्ध क्रांति करने हेतु कैसे एकत्र हो सकते है। इन प्रश्नों के उत्तर ढूँढ़े बिना भारत में समाजवादी क्रांति संभव नहीं और अगर क्रांति के पश्चात भी उनके साथ असमानता का व्यवहार, जातिभेद और वर्णभेद का पालन किया जानेवाला हो तो कोई भी व्यक्ती क्रांति करने हेतु प्रेरित नहीं होंगा। भारत में समाजवादी क्रांति को सफल बनाने हेतू भारत में व्याप्त सामाजिक विषमता को नष्ट करना होगा इस ओर समाजवादियों का ध्यान डॉ. अम्बेडकर ने आकर्षित किया था।[11]उनके अनुसार भारतीय समाजवादी युरोपियन समाजवादियों के पदचिन्हो पर चलकर भारत की विषम सामाजिक परीस्थिति में आर्थिक सिद्धांत लागू करने का प्रयास करते है, जो कि वास्तविकता से परे है। युरोपियन इतिहास के आधार पर स्थापित किए गए निष्कर्ष भारतीय परीस्थिति में लागू नहीं हो सकते। संपत्ति के साथ–साथ धर्म और सामाजिक प्रतिष्ठा इन दोनो तत्वों का समाजवादियों द्वारा विचार किया जाना चाहिए। केवल संपत्ति ही महत्वपूर्ण न होकर धर्म का भी मानवी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है।

भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द के समावेश से इस देश मे समाजवाद की स्थापना होना निश्चित हुआ है। फिर भी समाजवाद किस मार्ग से आयेगा इसकी स्पष्ट दिशा समाजवादियों के पास नहीं है। साधारण तौर पर हिंदूत्ववाद और मार्क्सवाद के आधार पर समाजवादी दृष्टिकोन रखा जाता है। इन दोनो का परामर्श लेकर डॉ. अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म द्वारा स्थापित समाजवादी दृष्टिकोन की सिफारिस की।

हिंदुत्ववादी मार्ग से इस देश में समाजवाद स्थापित होने की संभावना पर विचार व्यक्त करते हुए डॉ. अम्बेडकर कहते है कि, हिंदुत्ववाद वर्ण व्यवस्था पर खडा है। हिंदुत्ववादी जातिव्यवस्था में केवल श्रम का ही नहीं

अपितु श्रमिकों का भी स्तरीकरण किया गया है और यह हिंदुत्ववाद अधिकांश भारतीयों के खून और दिमाग में रचा बसा है। इसलिए उनमें एकता की (Commoness) की भावना नही है। हिंदुत्ववाद से ही इस देश में 'अछूत' नामक एक वर्ग का जन्म हुआ है। जिनका भयंकर रूप से शोषण हुआ है। हिंदुत्ववाद में एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता दिखाई देता है। इस देश के मजदूर आंदोलन के नेताओं ने वर्गविभेद के सिद्धांत को रखते समय इस देश में व्याप्त वर्णविभेद का विचार नहीं किया इसलिए इस देश में समाजवादी क्रांति हेतू जनमानस और विशेष तौर पर मजदूर वर्ग तैयार नहीं हो सका और मजदूर आंदोलन केवल मजदूरों के प्रश्नो तक ही सीमित रहे। वे व्यवस्था परिवर्तन की और अग्रेसर नहीं हो सके।

1938 में महाराष्ट्र के मनमाड में दलित वर्गीय मजदूरों के अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में डॉ. अम्बेडकर से बोलते हुए वे कहते है कि "मजदूरों के दो मुख्य शत्रु है, एक ब्राम्हणशाही और दुसरा पुँजीवाद[12] इसलिये जातिवाद को खत्म किये बिना समाजवाद स्थापित नहीं हो सकता ऐसा उनका आग्रही मत था। पंडित नेहरू ने भी ऐसा ही मत व्यक्त किया है, ''जब तक इस देश मे जातिव्यवस्था कायम है तब तक समाजवाद या साम्यवाद की स्थापना कदापि नहीं हो सकती।"[13]

मजदूरों को संघटित करने का मार्ग बताते हुए डॉ. अम्बेडकर कहते है कि, ''वंश और धर्म के कारण मजदूर एक दूसरे के शत्रु बने बैठे है। मजदूर एकता मे बाधा डालने वाले इन कारणों को नष्ट करना ही मजदूर एकता का सच्चा मार्ग है।[14]

मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति डॉ. अम्बेडकर का मत

कार्ल मार्क्स निसंदेह आधुनिक साम्यवाद या समाजवाद का जनक है। उसका युद्ध पूँजीवाद के साथ–साथ आदर्श समाजवादियों के विरूद्ध भी था। उसने दोनो को नकारकर शास्त्रीय समाजवाद पर बल दिया। शास्त्रीय समाजवाद के अनुसार समाजवाद यह अटल और अपरिहार्य है और समाज समाजवाद की दिशा में चलता रहता है, समाजवाद की दिशा में जाने से उसे कोई रोक नहीं सकता। साम्यवाद की मार्क्स ने दो अवस्थाएँ बतायी है, पहली पूँजीवाद की समाप्ती के पश्चात तुरंत निर्माण होनेवाली सामाजिक स्थिति, इसे 'समाजवाद' कहा जाता है, दूसरी, राज्य के विलय के पश्चात निर्माण होने वाली सामाजिक स्थिती इसे 'साम्यवाद' कहा जाता है।[15] डॉ. आंबेडकर के साम्यवाद संबंधी विचारों को पढे बिना उनकी राज्य समाजवाद की कल्पना स्पष्ट नहीं होती है।

डॉ. आंबेडकर के मतानुसार समाजवाद अनिवार्य रूप से अवतरित होता है यह मार्क्स का कथन पुरी तरह सिद्ध नहीं हो सकता। रशिया में स्थापित साम्यवाद इन्सानी प्रयत्नों के बिना असंभव था। मार्क्स रक्तरंजित क्रांति द्वारा मजदूरों की तानाशाही की आवश्यकता प्रतिपादित करता है, जबकि डॉ. अम्बेडकर संसदीय लोकतंत्र के मार्ग की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते है। मार्क्स की 'राज्य का विलय होगा' इस कल्पना को डॉ. अम्बेडकर नकारते है और राज्य के अस्तित्व को कायम रखकर समाजवाद की प्रस्थापना की जिम्मेदारी राज्य पर सौंपते है। मार्क्स उत्पादन के समान बँटवारे पर जोर देते है और उस हेतु राजनैतिक तानाशाही को आवश्यक बताते है जबकि डॉ. अम्बेडकर लोकतंत्र के तहत समान बँटवारे की बजाय राज्य द्वारा न्याय बँटवारे का सिद्धांत रखते है। उत्पादन के सभी साधनों पर सरकारी नियंत्रण हो ऐसा मार्क्स का मत है। परंतु डॉ. अम्बेडकर ने सीमित प्रमाण में निजी उद्योंगो को मान्यता दी है। मार्क्स तानाशाही और एक पक्ष के शासन पुरस्कार करता है जबकि डॉ. अम्बेडकर लोकतंत्र के पुरस्कर्ता थे और सफल लोकतंत्र हेतु कम से कम दो पक्षों की आवश्यकता को प्रतिपादित करते थे। कार्ल मार्क्स धर्म को अफीम की गोली मानते है। परंतु डॉ. अम्बेडकर मानवी जीवन में धर्म की महत्ता को मान्य करते हैं और धर्म समता के मूल्य पर अधिष्ठित हो ऐसी न्यूनतम अपेक्षा रखते है।

भारत में साम्यवाद का प्रचार क्यों नही हो सका इस पर भाष्य करते हुए डॉ. अम्बेडकर कहते है कि, भारत में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक शोषण साम्यवाद के प्रसार हेतु अनुकूल ही था, परंतु साम्यवादियों द्वारा धर्म को नकार देने से इस देश की बहुसंख्य धार्मिक हिंदू जनता साम्यवाद की ओर आकर्षित नहीं हो सकी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण बताते हुये डॉ. अम्बेडकर कहते हैं कि, ''भारत का मजदूर वर्ग दरिद्र होकर भी अमीरी–गरीबी के अतिरिक्त जाँत–पाँत, ऊँच–नीच आदि की भावना रखता है। अगर मजदूर ही आपस में ऊँच–नीच के भेद के कारण संघटित नही हो सकते तो वे अमीरों के विरूद्ध संघटित होकर क्रांति कैसे कर सकते है ? इन सवालों के जवाब ढूँढे बिना समाजवादी राज्यव्यवस्था एक क्षण भी टिकना संभव नहीं।[16] डॉ. अम्बेडकर का यह विवेचन साम्यवादी वास्तविकता की मर्यादा को स्पष्ट करने वाला है।

डॉ. अम्बेडकर के समाजवादी विचारों पर बुद्ध धर्म का प्रभाव है। उन्होने मार्क्स और बुद्ध का तुलनात्मक अध्ययन कर कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। उनके मतानुसार बुद्ध और मार्क्स के तत्वज्ञान का मूल आशय एक ही है। मार्क्स ने जिसे शोषण कहा उसे ही बुद्ध ने दुःख कहा है। इस शोषण को नष्ट करने हेतु मार्क्स ने उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण का विरोध कर समाज के नियंत्रण की सिफारिस की। बुद्ध ने भी निजी संपत्ति का निषेध कर भिक्षुओं को निजी संपत्ति रखने की मनाही की। भिक्षुसंघ के सभी व्यवहार लोकतंत्र पर आधारित होते थे। मार्क्सवादियों ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हिंसा मार्ग को अपनाया किंतु गौतम बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया। एक हिंसा को छोड दिया जाए तो गौतम बुद्ध के उपदेश मार्क्स के विचारों से मेल खाते है।[17] डॉ. अम्बेडकर यह लिखते हैं कि, ''रूसियों को अपने साम्यवाद पर गर्व है, किंतु वे यह भूल जाते है कि आश्चर्यो में आश्चर्य यह है कि, बुद्ध ने तानाशाही के बिना ही साम्यवाद की स्थापना की थी। यह हो सकता है कि यह बहुत छोटे स्तर का साम्यवाद था, किंतु तानाशाही रहित साम्यवाद था। एक ऐसा चमत्कार जिसे कर दिखाने में लेनिन को भी सफलता नहीं मिली।[18] बुद्ध और कार्ल मार्क्स में ऐसा तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात डॉ. अम्बेडकर इस

निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि, ''भौतिक विकास के साथ–साथ मनुष्य को आत्मिक विकास की भी आवश्यकता है। समता, स्वतंत्रता और बंधुता का उद्घोष करने वाली फ्रेंच क्रांति का स्वागत हुआ क्योंकि उसका ध्येय समता निर्माण करना था। परंतु समता पर जोर देते समय समाज को स्वतंत्रता और बंधुता की बली न चढानी पड़े इसका ध्यान रखना चाहिए। स्वतंत्रता और बंधुता के बिना समता का कोई अर्थ नही। बुद्ध के मार्ग को अपनाने पर ही यह तीनों तत्व एकत्रित रूप से अस्तित्व में आयेंगे। साम्यवाद सिर्फ समानता का आश्वासन देता है, स्वतंत्रता और बंधुता का नही।[19] डॉ. अम्बेडकर के उपरोक्त विचारों का महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि साम्यवाद का सच्चा पर्याय बौद्ध धर्म है।

डॉ. अम्बेडकर और राज्य समाजवाद

डॉ. अंम्बेडकर ने भारतीय समाज का वस्तुनिष्ठ रूप से विचार कर लोकतांत्रिक माध्यम से समाजवाद स्थापित करने का विचार रखा। परंतु उन्होने लोकतांत्रिक समाजवाद को मान्यता दी ऐसा इसका अर्थ नहीं है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद (Democratic Socialism) का स्वीकार किया है। परंतु उनके मत से लोकतांत्रिक समाजवाद यह संदिग्ध (Vague) और अप्रस्तुत सिद्धांत है। समाजवाद और लोकतंत्र में समानता नही है। समाजवाद यह ध्येय है और लोकतंत्र यह माध्यम है, परंतु वास्तव में लोकतंत्र यही ध्येय बनता है और समाजवाद स्वप्न बनकर रह जाता है। समाजवाद केंद्रीकरण पर बल देता है जबकि लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण पर बल दिया जाता है। इस कारण लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद स्थापित करना कठीण है। लोकतंत्र को दृढ़ करने के प्रयास में समाजवाद दुर्लक्षित रह जाता है।

डॉ. अम्बेडकर ने स्वतंत्र रूप से राज्य समाजवाद का सिद्धांत रखा। इसमें उन्होने लोकतंत्र और समाजवाद का समन्वय कर अपने स्वतंत्र विचार रखे जो मार्क्स प्रणित राज्य समाजवाद से भिन्न है।

मार्क्सवादी वर्गसंघर्ष के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। उनके वर्गसंघर्ष के तत्व को मान्य करने पर राज्य यह शोषण का साधन है इस तत्व को मान्यता देनी पडेगी। और राज्य को शोषण का साधन माना गया तो राज्यसत्ता के माध्यम से शोषण को नष्ट करने की सभी संभावनाएँ नष्ट हो जाती है। मार्क्स को शोषण के संपूर्ण नाश के लिए राज्य के संपूर्ण विलय की कल्पना करनी पडी। डॉ. अम्बेडकर ने राज्य के विलय की कल्पना को हास्यास्पद ठहराया और राज्य के माध्यम से समाजवाद प्रस्थापित करने की नयी दिशा दी। उनके मतानुसार राज्यसत्ता अगर शोषकों के हाथ मे रही तो उनके हित में प्रयुक्त होगी परंतु वह शोषितों के हाथ में रहेगी तो शोषितों के हितों की रक्षा हेतु प्रयुक्त होगी। शोषित वर्ग केवल शोषण को ही नष्ट नहीं करता बल्कि न्याय एवं मुक्त समाज की भी स्थापना करता है। मार्क्सवाद इसका आश्वासन राज्य के विलय की अंतिम अवस्था में देता है यह अंतर ध्यान में लेना आवश्यक है।

डॉ. अम्बेडकर ने लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन नही किया फिर भी उन्होंने लोकतंत्र के माध्यम से राज्य समाजवाद का प्रगल्भ विचार दिया। भारत को सच्चे अर्थों में समाजवादी राष्ट्र के तौर पर आगे आना है तो संविधानिक विधि नियमों कें माध्यम से इस देश की अर्थव्यवस्था एवं शासन व्यवस्था को निश्चित दिशा देनी होगी। यह अर्थव्यवस्था समाजवादी होनी चाहिए और उसे स्थापित करने का काम केवल विधिमंडल की इच्छा पर निर्भर न होकर संविधान में वैसे प्रावधान किए जाए ताकि विधिमंडल या कार्यकारी मंडल द्वारा किसी साधारण कानून को बनाकर उसे बदलना संभव न हो।

संविधान में मूलभूत अधिकारों का समावेश होने पर भी अगर उद्योग निजी नियंत्रण में है, तो पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों के मूलभूत अधिकार सुरक्षित रहने की कोई गारंटी नहीं है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में हजारो मजदूरों को पूँजीपतियों की दासता को स्विकार करना पडता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को डॉ. अम्बेडकर ने 'पूँजीपतियों की तानाशाही' ऐसा नाम दिया है। इस अर्थव्यवस्था के पर्यायी रूप में साम्यवादी राष्ट्रोंने उत्पादन के साधनों पर राज्यों नियंत्रण रख नयी अर्थव्यवस्था निर्माण की। लेकीन इस पर्यायी अर्थव्यवस्था में 'शासन की तानाशाही' निर्माण होने की संभावना है ऐसा डॉ. अम्बेडकर का मत था। एक ओर 'पूँजीपतियों की तानाशाही' दूसरी ओर 'शासन की तानाशाही' इन दोनों सिरों को त्याग कर मनुष्य के मूलभूत अधिकार किस तरह सुरक्षित रखे जाए यह डॉ. अम्बेडकर के चिंतन का केंद्रबिंदु था।[20] अपनी कल्पना के समाजवाद को साकार करने हेतु वे संसदीय शासन पद्धति को महत्व देते है। इसके लिए OS 'One man, one Vote and one value' इस तत्व को मान्यता देते है और देश में संसदीय शासन प्रणाली का आग्रह करते हैं। इसी शासन पद्धती से समाजवाद स्थापित किया जा सकेगा। ऐसा डॉ. अम्बेडकर का विश्वास था। समाजवादी समाजरचना स्थापित की जा सके इस हेतु उन्होने 1936 में स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना की। इसमें सभी जाति के लोगो का समावेश था। डॉ. अम्बेडकर ने इस पक्ष के घोषणा पत्र के माध्यम से मजदूरो और किसानों के हितों का समाजवादी कार्यक्रम घोषित किया। साथ–साथ उन्हे संपूर्ण भारतीय समाज में परिवर्तन लाना था। इस समग्र परिवर्तन हेतु ग्रामीण भाग के गावों की पुनर्रचना आवश्यक है ऐसा उनका मत था। भारतीय समाज जाति, धर्म वंश आदि भेदों पर आधारित होने से इस समाज की समस्याएँ सुलझाने हेतु डॉ. अम्बेडकर ने उद्योंगों के राष्ट्रीयकरण, जमीन के फेर आवंटन, बीमा का राष्ट्रीयकरण, व्यवस्थापन में मजदूरों की सहभागिता आदि बातों पर बल दिया।

भारतीय स्वतंत्रता के दृष्टिपथ में आते ही आंदोलन द्वारा समाजवाद का स्वप्न पुर्ण होने की संभावना धूमिल हो चुकी थी, इस हेतु अपने समाजवादी विचारों को कार्यान्वित करने हेतु उन्हे संविधान ही सर्वोत्तम माध्यम लगा। डॉ. अम्बेडकर ने नये समाजवादी भारत के निर्माण के लिए राजनीतिक लोकतंत्र का रूपांतर आर्थिक लोकतंत्र में हो ऐसा विचार दिया। संविधान के मूलभूत अधिकारों में कुछ आर्थिक तत्वों का समावेश करने से संसदीय मार्ग द्वारा रक्तपातहित सामाजिक क्रांति हो सकती है ऐसा उनका विचार था।[21]

डॉ. अम्बेडकर का राज्य समाजवाद का कार्यक्रम

निजी उद्योंगो के अस्तित्व को मान्य कर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को बढ़ावा देना और संपत्ति के समान बँटवारे का प्रावधान कर समाज के आर्थिक जीवन का नियोजन करना यह जिम्मेदारी शासन की है ऐसा डॉ. अम्बेडकर का मत था। समाज के दुर्बल घटकों की शोषण से सुरक्षा हेतु संविधान समिति को प्रस्तुत किये अपने निवदेन के दूसरे अनुच्छेद के चौथे खंड में उन्होने अपनी योजना के मुख्य मुद्दो कों स्पष्ट किया। वे कुछ इस तरह है।

1. मूलभूत उद्योग राज्यसरकार के नियंत्रण में होंगे, उन्हे राज्य सरकार चलाएगी।
2. आधारभूत उद्योगो (Basic) पर राज्य का नियंत्रण होगा। वे राज्य सरकार या उसके द्वारा स्थापित महामंडल के माध्यम से चलाएँ जायेंगे।
3. बीमा उद्योंगो पर सरकारी नियंत्रण होगा। हर नागरिक को उसकी आय के अनुसार बीमा निकालने हेतू राज्य सरकार बाध्य करेगी।
4. कृषि उद्योग राज्य का राष्ट्रीय उद्योग होगा।
5. निजी उद्योग, निजी बीमा कंपनियाँ आदि पर राज्य सरकार अपना नियंत्रण स्थापित करेगी। इसके बदले में उन व्यक्तियों को कर्जरोखे (Debentures) के रूप में मूल्य प्रदान किया जायेगा। कानून द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज लेने का हक रोखेधारक को होगा।
6. कृषि उद्योग की निम्नलिखित तत्वों पर पुनर्रचना की जाएगी।

1. प्राप्त जमीन का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित टुकड़ों में बँटवारा कर वह जमीन गाँव मे बसे किसानों को कुछ शर्तों पर खेती करने के लिए दी जाएगी।
2. जमीन का आवंटन धर्म, जात, पंथ आदि किसी भी प्रकार के भेद को न कर किया जाएगा। इससे गाँव में कोई भी मालिक या भूमिहीन किसान नहीं होगा।
3. इस सामूहिक खेती को पानी, जानवर, औजार, बीज, खाद आदि द्वारा आर्थिक सहायता करने का बंधन राज्य सरकार पर होगा।
4. राज्य सरकार खेती के उत्पादन से लगान (कर) वसूल कर सकेगी।
5. इस योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। परंतु किसी भी स्थिति में संविधान के अंमल में आने की तिथि से दस वर्ष से अधिक काल तक इस योजना को बढाया नहीं जा सकेगा।[22]

डॉ. अम्बेडकर ने खंड–4 का विस्तार विवेचन किया है। इस खंड के माध्यम से लोगों के आर्थिक जीवन का नियमन करने का बंधन राज्य पर डाला गया है।

आज के संदर्भ में उपयुक्तता

भारतीय परिक्षेत्र से डॉ. अम्बेडकर को अर्थशास्त्री के रूप में गंभीरता से नहीं लिया गया है। पूँजीवाद और साम्यवाद का रक्तरंजित इतिहास और उनके दुष्परिणामों को ध्यान में रखकर उन्होंने तीसरी शक्ति 'समाजवाद' को सिफारिस की। इसमे भी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र समता स्थापित करने में राज्य की प्रमुख भूमिका होनी चाहिये यह विचार उन्होंने अपने राज्य 'समाजवाद' के सिद्धांत में रखा।

भारत की स्वतंत्रता के 68 वर्षों के दीर्घ काल में देश की आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था पर अधिक चिंतन नहीं हुआ है। भारतीय संविधान की उद्देश्य पत्रिका में 42वी संवैधानिक–दुरूस्ती के द्वारा 1976 में 'समाजवाद' शब्द का समावेश किया गया है, परंतू उसके अनुरूप आर्थिक कार्यक्रम नहीं दिये जाने से 'समाजवाद' शब्द केवल दिखावटी बन कर रह गया है।

स्वतंत्र भारत का आर्थिक विकास नियोजित पद्धती से हो इसलिए मिश्र अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया गया और पंचवार्षिक योजनाएँ लागू की गयी। परंतू मिश्र अर्थ व्यवस्था के अंतर्गत यह देश समाजवाद की ओर झुकने के बजाय पूँजीवाद के तरफ अधिक झुका।

1991 मे भारत द्वारा विश्व बैंक, अंर्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष (I.M.F.) इनके स्थिरीकरण और संरचना समायोजन कार्यक्रम (lWi) का स्विकार कर उदारीकरण, निजिकरण और वैश्वीकरण (L.P.G.) की निति को अपनाया गया। निजिकरण और यांत्रिकीकरण से बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है।

स्वतंत्रता के बाद खेती को राष्ट्रीय उद्योग का दर्जा नहीं मिला। छोटे टुकड़ों में बँटी होने से और सिंचाई की समुचित व्यवस्था के अभाव में खेती करना 'घाटे का सौदा' सिद्ध होने लगा और आज महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सो में किसान कर्जे के कारण आत्महत्त्या करने को मजबूर है।

आज धीरे–धीरे राज्य अपनी जनकल्याण की भूमिका से दुर होता दिखाई दे रहा है और हर क्षेत्र में निजिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्पादन के साधनों पर केवल कुछ थोड़े लोगों का अधिकार होने से अमीरी और गरीबी के बीच खाई बढ़ी है।

आज देश की आर्थिक वृद्धि दर (G.D.P.) 7.5 है। इससे मध्यम वर्ग की स्थिती में जरूर सुधार हुआ है, परंतु आज भी देश की 28.5 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे है। गरीब किसान और मजदूर वर्ग की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, दिखाई देता है। इन्हें मुख्य प्रवाह में शामिल किये बगैर देश का समुचा विकास संभव नहीं है।

इस सर्वहारा वर्ग को आर्थिक–सामाजिक दृष्टि से सक्षम बनाने हेतू डॉ. अम्बेडकर का राज्य समाजवाद सर्वथा उपयुक्त है।

निष्कर्ष

डॉ. अम्बेडकर ने आर्थिक जीवन जैसे महत्वपुर्ण क्षेत्र में राज्य समाजवाद की सिफारिस की है और राज्य समाजवाद की स्थापना को विधानमंडल की इच्छा पर आश्रित न रखते हुए संविधान के कानून द्वारा इसे स्थापित करने की माँग की है जिससे कि विधान मंडल या कार्यकारिणी के किसी भी कानून द्वारा इस राज्य समाजवाद को बदला नहीं जा सकेगा। संसदीय लोकतंत्र का संकोच न करते हुए और संसदीय लोकतंत्र की मर्जी पर राज्य समाजवाद के स्थापना की जिम्मेदारी न सौंपते हुए राज्य समाजवाद स्थापित करने का यह एक प्रयास हैं। समाजवादी समाज रचना निर्माण करने हेतु कृषि योग्य

जमीन और मूलभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना यह उपाय उन्होने सुझाएँ। मूलभूत उद्योग, कुछ आधारभूत उद्योग, बीमा व्यवसाय आदि के राष्ट्रीयकरण से और सामूहिक खेती के प्रयोग से आर्थिक समानता स्थापित होकर एक व्यक्ति–एक मूल्य यह विचार सच्चे अर्थो में स्थापित होगा ऐसा विचार उन्होने प्रगट किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. William Benton – Encyclopaedia Britanica, (1967), Vol No. 20, Page 749.
2. The New Oxford Encyclopedic Dictionary, Sydney Oxford : Bay in association with Oxford University Press, [2nd ed.] (1983), Page 702.
3. डाहाट धनराज, डॉ. अम्बेडकरांचे समाजवादी चिंतन, संकेत प्रकाशन, नागपुर, 1999, पृष्ठ क्र. 28.
4. प्रसारसिंह विनोद (संपादक) समाजवादी आंदोलन के दस्तावेज (1934–52), पृष्ठ क्र. 205.
5. गांधी एम.जी., माई सोशॅलिजम, नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस, अहमदाबाद, 14, पृष्ठ–9 से 14. और डहाट धनराज, डॉ. अम्बेडकराचे समाजवादी चिंतन, संकेत प्रकाशन, नागपूर, 1999– पृष्ठ–32.
6. प्रसार सिंह विनोद (संपादक) उपरोक्त –पृष्ठ क्र. 102.
7. खैरमोडे चा.भ., डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर (चरित्र), खंड 10, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल, मुंबई, प्रथमावृत्ती 1989, पृष्ठ क्र. 215.
8. पवार दया, मेश्राम केशव, निंबाळकर वामन, (संपादक) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गौरव ग्रंथ, (1993) पृष्ठ क्र. 167.
9. डॉ. आंबेडकर बी. आर. (अनुवादक – वसंत मून) – जाती संस्था का उच्चाटन, मनोविकास प्रकाशन, मुंबई पृष्ठ क्र. 28–29.
10. उपरोक्त – पृष्ठ क्र. 30
11. लिमये मधु, डॉ. आंबेडकर : एक चिंतन, सरदार वल्लभभाई पटेल एजूकेशन सोसायटी, नई दिल्ली, व्दितीय आवृत्ति 1990, पृष्ठ क्र. 21.
12. खैरमोडे चा. भ. डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर (चरित्र खंड 6 व 7) – राज्य साहित्य संस्कृती मंडल, मुंबई, प्रथम आवृत्ति 1985, पृष्ठ क्र. 101.
13. Dongre, M. K. Economic Thoughts of Dr. B.R. Ambedkar, Ambedkar Samaj Publication, Nagpur, 1974, Page No. 35.
14. गांजरे मा. फ. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भाषणे, खंड–2, अशोक प्रकाशन, नागपूर, 1974,पृष्ठ क्र. 128.
15. डहाट धनराज – डॉ. आंबेडकरांचे समाजवादी चिंतन, संकेत प्रकाशन, नागपुर 1999–पृष्ठ–60.
16. डॉ. आंबेडकर बी.आर. (अनूवादक–वसंत मून) जातीसंस्था का उच्चाटन, मनोविकास प्रकाशन, मुंबई–पृष्ठ–30-
17. Editor, Dr. Ambedkar writing & speeches 1987, Govt. of Maharashtra, Vol – 3 Page 444 – 446.
18. जाटव डी. आर.– डॉ. अंम्बेडकर और मार्क्सवाद, समता साहित्य सदन, जयपुर (राजस्थान) 1991 पृष्ठ क्र. 28.
19. पवार दया, मेश्राम केशव, निंबाळकर वामन (संपादक), डॉ.बाबा साहेब आंबेडकर गौरव ग्रंथ,पृष्ठ क्र.182.
20. डहाट धनराज, डॉ. आंबेडकरांचे समाजवादी चिंतन, संकेत प्रकाशन, नागपूर 1999–पृष्ठ–78.
21. Rajendra Motghare, Dr. B.R. Ambedkar & Constitution of India, Proceeding of Internatinal Conference (Interdisciplinary) on Dr. Babasaheb Ambedkar : vision & 21st Century edited by Dr. Pradip Hadke, 2015, Page- 2.
22. आंबेडकर डॉ.बी.आर (अनुवादक–वसंत मून) संस्थाने आणि अल्पसंख्यांक समाज,मनोविकास प्रकाशन, मुंबई, प्रथम आवृत्ती 1988, पृष्ठ 14–15.